मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1073/स्था/2022 भोपाल, दिनांक 31 MAR 2022

// कार्यालय आदेश //

दिनांक 28 मार्च 2022 को सम्पन्न राज्य बोर्ड की 159 वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 2.10 में लिये निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानान्तरण नीति 2021–2022 के आधार पर वर्ष 2022–2023 हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण नीति लागू की जाती है:–

1. प्रत्येक पद/संवर्ग के कार्यरत पद संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत स्थानान्तरण किये जायें, प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इसमें कमी व बढ़ोतरी की जा सकेगी ।
2. स्थानान्तरण 1/04/2022 से 30/04/2022 के मध्य पूर्ण करने के प्रयत्न किये जायेंगे । स्थानान्तरण पर समस्त अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
3. प्रत्येक संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया जावेगा ।
4. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा–निवृति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किया जाना उचित होगा।
5. प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों में पिछले वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना मुख्य आधार होगा, जिसमें न्यूनतम अवधि पूर्ण करना बंधनकारी नहीं होगा ।
6. न्यायालयीन निर्णय, गंभीर शिकायतें, कार्य आवश्यकता हेतु रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि प्रकरणों तथा दोषी पाये गये प्रकरणों में उपर वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना स्थानान्तरण।
7. पति–पत्नि के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिये आवेदन प्राप्त होने पर स्थानान्तरण किया सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के लिये अनुरूप निर्धारित होगा ।

8. गंभीर बीमारियों जिनमें नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो शासकीय सेवक के चाहने पर जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानान्तरण ।

9. ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, उनके स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक आवेदन देने पर किया ज सकता है ।

10. अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य की मानसिक निःशक्तता पर उनका स्थनान्तरण सामान्यतः नहीं किया जावेगा तथापि उनके स्वैच्छिक आवेदन पर उपयुक्तता के आधार पर स्थानान्तरण ।

11. जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है, उसके युक्तियुक्तकरण हेतु स्थानान्तरण ।

12. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हो, उनके तैनाती कार्यपालिक पदों पर न की जावे ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

पृ0 कमांक 1074/स्था/2022
भोपाल, दिनांक 31 MAR 2022

प्रतिलिपिः–

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ

2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,